

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	मेघालय				मिज़ोरम			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
<b>कुल राजस्व (I+II)</b>	<b>2,81,065</b>	<b>3,80,631</b>	<b>3,80,631</b>	<b>4,39,381</b>	<b>2,65,313</b>	<b>3,00,921</b>	<b>3,21,403</b>	<b>3,25,387</b>
<b>I. कर राजस्व (क +ख)</b>	<b>96,467</b>	<b>1,03,976</b>	<b>1,03,976</b>	<b>1,31,602</b>	<b>47,801</b>	<b>50,969</b>	<b>51,009</b>	<b>68,132</b>
<b>क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)</b>	<b>36,944</b>	<b>40,360</b>	<b>40,360</b>	<b>46,181</b>	<b>9,462</b>	<b>11,629</b>	<b>11,669</b>	<b>11,826</b>
<b>1. आय पर कर (i+ii)</b>	<b>-647</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>239</b>	<b>593</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>750</b>
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	-647	158	158	239	593	748	748	750
<b>2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)</b>	<b>604</b>	<b>1,092</b>	<b>1,092</b>	<b>1,159</b>	<b>209</b>	<b>196</b>	<b>261</b>	<b>320</b>
i) भूमि राजस्व	50	281	281	299	163	168	205	250
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	554	811	811	860	46	28	56	70
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)</b>	<b>36,988</b>	<b>39,110</b>	<b>39,110</b>	<b>44,783</b>	<b>8,660</b>	<b>10,685</b>	<b>10,660</b>	<b>10,756</b>
i) बिक्री कर (क से च)	28,183	28,942	28,942	32,416	7,751	9,693	9,693	9,693
क) राज्य बिक्री कर / वैट	12,375	18,408	18,408	21,581	5,615	9,693	7,200	7,200
ख) केंद्रीय बिक्री कर	1,076	3,429	3,429	2,991	1	-	3	3
ग) मोटर स्पिरिट और और स्नेहक पर बिक्री कर	2,746	7,100	7,100	7,836	2,067	-	2,400	2,400
घ) बिक्री कर पर अधिभार	747	-	-	-	51	-	64	64
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	1	1
च) अन्य प्राप्तियां	11,240	5	5	9	16	-	26	26
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	6,979	8,015	8,015	10,019	187	184	184	206
iii) वाहन पर कर	1,321	1,448	1,448	1,564	550	649	622	680
iv) माल और यात्रियों पर कर	331	433	433	460	143	118	120	132
v) बिजली पर शुल्क और कर	3	120	120	126	-	-	-	-
vi) मनोरंजन कर	-	70	70	111	28	-	41	45
vii) अन्य कर और शुल्क	170	83	83	87	-	41	1	1
<b>ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)</b>	<b>59,523</b>	<b>63,616</b>	<b>63,616</b>	<b>85,421</b>	<b>38,339</b>	<b>39,340</b>	<b>39,340</b>	<b>56,306</b>
i) निगम कर	19,501	23,481	23,481	35,614	12,568	15,881	15,881	23,481
ii) आय कर	12,259	13,208	13,208	15,836	7,891	7,738	7,738	10,441
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-	-2	-2	-	-	-1	-1	-
v) धन पर कर	25	24	24	78	11	15	15	51
vi) सीमा शुल्क	11,381	11,578	11,578	13,801	7,330	6,573	6,573	9,099
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	9,925	7,578	7,578	11,241	6,399	4,434	4,434	7,411
viii) सेवा कर	6,432	7,752	7,752	8,851	4,140	4,702	4,702	5,823
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-	-3	-3	-	-	-2	-2	-
<b>II. गैर कर राजस्व (ग+घ)</b>	<b>1,84,598</b>	<b>2,76,655</b>	<b>2,76,655</b>	<b>3,07,779</b>	<b>2,17,512</b>	<b>2,49,952</b>	<b>2,70,394</b>	<b>2,57,255</b>
<b>ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)</b>	<b>22,531</b>	<b>24,049</b>	<b>24,049</b>	<b>26,122</b>	<b>15,867</b>	<b>18,114</b>	<b>14,302</b>	<b>16,637</b>
<b>1. ब्याज प्राप्तियां</b>	<b>1,782</b>	<b>1,123</b>	<b>1,123</b>	<b>1,224</b>	<b>3,291</b>	<b>617</b>	<b>1,801</b>	<b>2,621</b>
<b>2. लाभांश और लाभ</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	मेघालय				मिज़ोरम			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
<b>3. सामान्य सेवाएं</b>	<b>4,648</b>	<b>2,763</b>	<b>2,763</b>	<b>3,074</b>	<b>1,213</b>	<b>2,283</b>	<b>2,586</b>	<b>1,418</b>
जिसमें से: राज्य लाटरियां	862	963	963	1,080	301	290	800	896
<b>4. सामाजिक सेवाएं ( i से ix )</b>	<b>385</b>	<b>1,490</b>	<b>1,490</b>	<b>1,702</b>	<b>825</b>	<b>1,003</b>	<b>987</b>	<b>1,296</b>
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	93	114	114	131	52	81	91	105
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	74	108	108	119	55	75	30	32
iii) परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—	—	—
iv) आवास	15	25	25	24	45	63	67	74
v) शहरी विकास	36	5	5	41	3	—	12	15
vi) श्रम और रोजगार	58	112	112	124	—	—	—	—
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1	42	42	48	—	56	56	56
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	104	1,071	1,071	1,200	657	721	721	1,000
ix) अन्य	2	13	13	15	13	7	10	14
<b>5. राजकोषीय सेवाएँ</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>6. आर्थिक सेवाएं ( i से xvii )</b>	<b>15,713</b>	<b>18,668</b>	<b>18,668</b>	<b>20,117</b>	<b>10,538</b>	<b>14,211</b>	<b>8,928</b>	<b>11,302</b>
i) फसल उत्पादन	322	326	326	350	18	38	38	46
ii) पशुपालन	137	135	135	155	57	65	70	75
iii) मत्स्यपालन	4	8	8	9	6	4	11	15
iv) वानिकी और वन्य जीव	1,736	2,035	2,035	2,277	220	463	238	280
v) बागान	—	—	—	—	—	—	—	—
vi) सहकारिता	9	78	78	85	2	2	2	2
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	110	130	130	149	94	75	83	110
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ	—	—	—	—	—	—	—	—
ix) लघु सिंचाई	39	8	8	9	—	—	—	—
x) पावर	—	200	200	200	9,340	12,790	7,607	9,965
xi) पेट्रोलियम	—	—	—	—	—	—	—	—
xii) गांव और लघु उद्योग	25	39	39	45	8	18	19	20
xiii) उद्योग @	13,273	15,463	15,463	16,545	154	270	150	150
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	—	—	—	—	—	—	—	—
xv) सड़क परिवहन	—	—	—	—	207	169	188	191
xvi) पर्यटन	—	4	4	4	111	110	110	125
xvii) अन्य*	58	242	242	289	320	207	411	322
<b>घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)</b>	<b>1,62,067</b>	<b>2,52,606</b>	<b>2,52,606</b>	<b>2,81,657</b>	<b>2,01,645</b>	<b>2,31,838</b>	<b>2,56,092</b>	<b>2,40,618</b>
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	95,787	1,53,781	1,53,781	1,59,363	91,961	1,13,112	1,50,540	1,40,619
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	818	1,585	1,585	1,602	1,951	8	8	—
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	15,899	49,290	49,290	59,070	28,488	14,690	25,164	19,325
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	5,570	7,650	7,650	9,268	5,783	3,540	5,884	—
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	43,992	40,300	40,300	52,354	73,462	1,00,488	74,497	80,674
क) सांविधिक अनुदान	35,584	31,215	31,215	39,300	63,400	64,491	64,491	71,500
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	923	951	951	1,419	4,960	555	555	870
ग) अन्य	7,486	8,134	8,134	11,635	5,102	35,442	9,451	8,304

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	नागालैण्ड				उड़ीसा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
<b>कुल राजस्व (I+II)</b>	<b>3,40,089</b>	<b>3,90,989</b>	<b>3,95,334</b>	<b>5,35,437</b>	<b>24,61,001</b>	<b>26,55,009</b>	<b>27,67,753</b>	<b>31,44,530</b>
<b>I. कर राजस्व (क +ख)</b>	<b>57,786</b>	<b>69,725</b>	<b>58,928</b>	<b>86,040</b>	<b>16,27,516</b>	<b>17,04,938</b>	<b>17,41,593</b>	<b>20,36,418</b>
<b>क. राज्यों का खुद का कर राजस्व (1 से 3)</b>	<b>15,602</b>	<b>15,591</b>	<b>15,643</b>	<b>20,330</b>	<b>7,99,520</b>	<b>8,19,989</b>	<b>8,92,000</b>	<b>10,36,001</b>
<b>1. आय पर कर (i+ii)</b>	<b>1,986</b>	<b>1,871</b>	<b>1,871</b>	<b>2,500</b>	<b>11,218</b>	<b>9,529</b>	<b>13,472</b>	<b>14,500</b>
i) कृषि आय कर	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर	1,986	1,871	1,871	2,500	11,218	9,529	13,472	14,500
<b>2. संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर (i से iii)</b>	<b>161</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>198</b>	<b>84,446</b>	<b>65,884</b>	<b>84,445</b>	<b>91,201</b>
i) भूमि राजस्व	60	75	75	81	34,879	27,325	34,879	37,670
ii) स्टॉप और पंजीकरण शुल्क	101	108	108	117	49,566	38,559	49,566	53,532
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. पण्यों और सेवाओं पर कर (i से vii)</b>	<b>13,455</b>	<b>13,537</b>	<b>13,588</b>	<b>17,633</b>	<b>7,03,857</b>	<b>7,44,576</b>	<b>7,94,083</b>	<b>9,30,300</b>
i) बिक्री कर (क से च)	11,470	11,564	11,564	15,500	4,80,334	5,11,604	5,38,238	6,27,326
क) राज्य बिक्री कर / वैट	11,470	11,564	11,564	15,500	4,26,873	4,88,927	4,66,172	5,45,454
ख) केंद्रीय बिक्री कर	-	-	-	-	53,461	22,677	72,066	81,872
ग) मोटर स्पिरिट और स्नेहक पर बिक्री कर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बिक्री कर पर अधिभार	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) पण्यावर्त कर की प्राप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	334	335	335	362	66,007	70,767	79,208	95,050
iii) वाहन पर कर	1,414	1,400	1,450	1,512	52,443	60,000	60,309	71,342
iv) माल और यात्रियों पर कर	234	235	235	254	63,832	58,090	68,938	78,590
v) बिजली पर शुल्क और कर	3	2	3	3	36,503	41,010	41,979	52,177
vi) मनोरंजन कर	-	-	-	-	1,858	218	1,022	1,216
vii) अन्य कर और शुल्क	-	1	1	1	2,881	2,887	4,390	4,599
<b>ख. केंद्रीय करों में हिस्सा (i से ix)</b>	<b>42,184</b>	<b>54,134</b>	<b>43,285</b>	<b>65,710</b>	<b>8,27,996</b>	<b>8,84,949</b>	<b>8,49,593</b>	<b>10,00,417</b>
i) निगम कर	13,819	17,755	17,476	27,409	2,71,497	3,26,652	2,65,081	4,17,151
ii) आय कर	8,694	11,149	8,515	12,187	1,70,497	1,83,739	1,61,027	1,85,490
iii) संपदा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) आय और व्यय पर अन्य कर	-	-1	-1	-	-11	-38	-24	-
v) धन पर कर	11	17	17	60	261	329	333	911
vi) सीमा शुल्क	8,069	10,350	7,233	10,621	1,58,280	1,61,064	1,65,715	1,61,655
vii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	7,037	9,026	4,879	8,651	1,38,039	1,05,412	1,75,968	1,31,663
viii) सेवा कर	4,554	5,840	5,168	6,782	89,455	1,07,812	81,521	1,03,548
ix) वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	-	-2	-2	-	-22	-21	-28	-1
<b>II. गैर कर राजस्व (ग+घ)</b>	<b>2,82,302</b>	<b>3,21,264</b>	<b>3,36,407</b>	<b>4,49,397</b>	<b>8,33,485</b>	<b>9,50,071</b>	<b>10,26,159</b>	<b>11,08,112</b>
<b>ग. राज्यों का खुद का गैर कर राजस्व (1 से 6)</b>	<b>18,055</b>	<b>16,505</b>	<b>14,055</b>	<b>16,616</b>	<b>3,17,615</b>	<b>2,24,227</b>	<b>2,91,191</b>	<b>3,16,598</b>
<b>1. ब्याज प्राप्तियां</b>	<b>1,157</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>450</b>	<b>65,467</b>	<b>21,133</b>	<b>29,997</b>	<b>20,000</b>
<b>2. लाभांश और लाभ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,285</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>

परिशिष्ट I: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों की राजस्व प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपये)

मद	नागालैण्ड				उड़ीसा			
	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
<b>3. सामान्य सेवाएं</b>	<b>3,183</b>	<b>1,429</b>	<b>1,429</b>	<b>2,005</b>	<b>49,138</b>	<b>18,164</b>	<b>57,303</b>	<b>19,513</b>
जिसमें से: राज्य लाटरियां	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. सामाजिक सेवाएं ( i से ix )</b>	<b>497</b>	<b>543</b>	<b>575</b>	<b>591</b>	<b>11,422</b>	<b>13,390</b>	<b>12,654</b>	<b>12,909</b>
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	55	30	30	32	1,065	4,605	1,100	1,122
ii) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	17	19	19	20	3,218	1,529	3,500	3,570
iii) परिवार कल्याण	-	-	-	-	18	14	14	14
iv) आवास	297	344	372	344	1,217	1,700	1,700	1,734
v) शहरी विकास	2	-	1	2	66	37	37	38
vi) श्रम और रोजगार	3	5	5	5	501	639	639	652
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	25	22	26	29	32	34	34	35
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	98	119	119	156	4,874	4,231	5,031	5,132
ix) अन्य	-	3	3	3	432	600	599	612
<b>5. राजकोषीय सेवाएँ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. आर्थिक सेवाएं ( i से xvii )</b>	<b>13,218</b>	<b>13,883</b>	<b>11,301</b>	<b>13,570</b>	<b>1,66,303</b>	<b>1,61,540</b>	<b>1,86,236</b>	<b>2,54,175</b>
i) फसल उत्पादन	11	14	14	15	713	990	990	1,010
ii) पशुपालन	43	100	60	65	101	167	167	170
iii) मत्स्यपालन	3	1	3	3	345	504	350	357
iv) वानिकी और वन्य जीव	478	749	749	1,000	13,929	8,000	12,000	10,000
v) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) सहकारिता	79	6	6	7	201	373	350	357
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1	5	5	5	92	91	92	94
viii) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ	-	-	-	-	4,741	7,977	8,903	11,079
ix) लघु सिंचाई	2	1	2	2	532	1,030	1,030	1,051
x) पावर	11,149	11,600	8,850	10,737	63	164	164	167
xi) पेट्रोलियम	-	-	-	-	-	-	-	-
xii) गांव और लघु उद्योग	67	24	70	76	17	62	25	26
xiii) उद्योग @	89	8	95	103	1,38,067	1,35,028	1,55,008	2,22,566
xiv) बंदरगाह और लाइट हाउस	-	-	-	-	67	246	246	251
xv) सड़क परिवहन	938	1,297	1,297	1,401	-	-	-	-
xvi) पर्यटन	13	30	30	32	18	51	51	52
xvii) अन्य*	346	47	119	124	7,418	6,856	6,860	6,995
<b>घ. केंद्र से अनुदान (1 से 5)</b>	<b>2,64,247</b>	<b>3,04,760</b>	<b>3,22,351</b>	<b>4,32,781</b>	<b>5,15,870</b>	<b>7,25,843</b>	<b>7,34,968</b>	<b>7,91,514</b>
1. राज्य योजना स्कीमें जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता से जारी अग्रिम	90,295	1,15,283	1,29,963	1,79,699	2,63,253	3,36,541	3,27,161	3,89,540
2. केंद्रीय योजना स्कीमें	28,665	45,130	36,235	50,840	11,941	73,711	79,208	1,09,394
3. केंद्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	-	-	1,16,476	1,52,542	1,63,311	1,79,739
4. एनईसी / विशेष योजना स्कीम	3,580	4,049	2,198	4,618	-	-	-	-
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	1,41,708	1,40,297	1,53,955	1,97,623	1,24,200	1,63,050	1,65,288	1,12,841
क) सांविधिक अनुदान	1,16,817	1,21,258	1,21,258	1,59,877	-	-	-	-
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत के लिए अनुदान	312	322	322	447	32,450	17,650	17,650	29,369
ग) अन्य	24,579	18,717	32,375	37,299	91,751	1,45,400	1,47,638	83,472